

दिनांक :

प्रति,

विषय : आगामी हिन्दी चलचित्र ‘केदारनाथ’ को प्रमाणपत्र न देने के संबंध में...

महोदय,

आगामी हिन्दी चलचित्र ‘केदारनाथ’ का ‘ट्रेलर’ और ‘टीजर’ कुछ समय पूर्व ही प्रदर्शित हुआ है। इनसे इस चलचित्र के संबंध में कुछ बातें ध्यान में आई हैं, जिनसे विवाद उत्पन्न कर प्रसिद्धी प्राप्त करना और चलचित्र की कमाई करना, ऐसे स्वार्थी एवं समाजधाती उद्देश्य दिखाई देते हैं। इस चलचित्र के कुछ निरीक्षण आगे दे रहे हैं। –

१. यह चलचित्र हिन्दुओं के पवित्र तीर्थक्षेत्र श्री केदारनाथ में वर्ष २०१३ में हुए जलप्रलय की सत्य घटना; परंतु काल्पनिक प्रेमकथा पर आधारित है।

२. इस प्रेमकथा में एक घोडेवाले ‘मन्सूर’ नामक मुसलमान युवक की भूमिका अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत तथा हिन्दू युवति की भूमिका अभिनेत्री सारा अली खान ने की है। वर्तमान में भारतीय समाज में अंतरधर्मीय विवाहों को मान्यता देने की परंपरा नहीं है। हिन्दू और मुसलमान दोनों समाज इसके विरोध में हैं। अपवादात्मक स्थिति में ही ऐसे विवाह होते हैं। मुसलमान समाज के अनेक प्रसंगों में तो लड़की को मार डालने की घटनाएं घटी हैं। इसे ही ‘ऑनर किलिंग’ संबोधित किया जाता है। ऐसे संवेदनशील विषयों पर समाज का भान रखना और समाज में अधिक विवाद न हों, इसकी सावधानी बरतना आवश्यक होता है; परंतु इस चलचित्र के ट्रेलर के माध्यम से ध्यान में आता है कि सावधानी तो छोड़ें; परंतु जानबूझकर विवाद उत्पन्न करनेवाले प्रसंग लिए हैं।

३. वर्तमान में एक अयोग्य प्रथा प्रारंभ हो गई है कि, चलचित्र प्रदर्शित होने से पूर्व ही विविध विवाद उत्पन्न किए जाते हैं तथा उनसे प्रसिद्धी प्राप्त कर चलचित्र पर धन कमाया जाता है। चलचित्र ‘केदारनाथ’ भी इसका अपवाद नहीं है। वर्तमान में भारतीय समाज को एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या ‘लव जिहाद’ डरा रही है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मुसलमान युवक हिन्दू युवतियों को विविध प्रलोभन देते हैं, झूठ बोलकर फँसाते हैं, प्रेम का नाटक करते हैं, नशे की औषधि देकर मित्रता का नाटक कर उनका शारीरिक शोषण करते हैं तथा उनसे विवाह कर उनका इस्लाम में धर्मपरिवर्तन करते हैं। यह इस समस्या का गंभीर स्वरूप है। आज तक हजारों हिन्दू युवतियां इस ‘लव जिहाद’ की बलि चढ़ चुकी हैं। यद्यपि उक्त चलचित्र में उक्त प्रसंगानुसार कथा नहीं दिखाई गई है, तथापि जानबूझकर मुसलमान युवक और हिन्दू युवती का प्रेम दिखाया गया है। यह एक प्रकार से ‘लव जिहाद’ को प्रोत्साहन देने के समान ही है।

कुछ तथाकथित आधुनिकतावादी और बुद्धिवादी अनेक बार दावा करते हैं कि ‘लव जिहाद’ के नाम से झूठा प्रचार किया जाता है; परंतु केरल उच्च न्यायालय ने भी लव जिहाद को स्वीकार किया है तथा केरल के कम्युनिस्ट दल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री (हिन्दुत्वनिष्ठ नहीं) अच्युतानन्दन ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मान्य किया था कि, केरल में ‘लव जिहाद’ के प्रकरण में २००० से अधिक युवतियां लापता हैं।

४. इस चलचित्र के ‘ट्रेलर’ के संवाद भी गंभीर हैं। उदा. चलचित्र में अभिनेता और अभिनेत्री के प्रेमप्रकरण को परिजनों का विरोध दर्शाया गया है। इसमें युवति के पिता ‘नहीं होगा ये संगम ! फिर चाहे प्रलय ही क्यों न आए !’ यह कहते हुए दिखाए गए हैं। इसके पश्चात अभिनेत्री सारा अली खान कहती है, ‘जाप करूँगी, की आएं !’ इसमें निर्माता ने यह दर्शाने का अशोभनीय प्रयत्न किया है कि इस प्रेमप्रकरण को नकारने के कारण ही केदारनाथ में जलप्रलय आया था। इस क्षेत्र के हिन्दुओं की श्रद्धा है कि वास्तव में केदारनाथ में अर्धम फैलने के कारण ही वहां जलप्रलय हुआ था। ऐसा होते हुए भी ‘मुसलमान युवक और हिन्दू युवति के प्रेम को नकारने के कारण ही जलप्रलय हुआ’, यह दर्शाना अत्यंत निंदनीय है।

५. चलचित्र की टैग लाइन (घोषवाक्य) है ‘Love is a pilgrimage’ अर्थात् ‘प्रेम ही तीर्थयात्रा है।’ ईश्वर का प्रेम और प्रेमप्रकरण का प्रेम अलग होता है, इतनी साधारण बात नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं है; परंतु जानबूझकर इसके द्वारा इस तीर्थक्षेत्र का अनादर किया है। हिन्दुओं की तीर्थयात्रा अथवा तीर्थक्षेत्र क्या प्रेमप्रकरणों के लिए हैं ? इससे दिखाई देता है कि निर्माता को इस चलचित्र से क्या संदेश देना है।

६. प्रेमकथाओं पर आधारित अन्य किसी भी चलचित्र पर हिन्दुओं ने कभी आपत्ति नहीं उठाई है; परंतु हिन्दुओं के धार्मिक उत्सव, देवस्थान और धार्मिक स्थलों का उपयोग प्रेमप्रकरण दिखाने के लिए करना समाज को गलत संदेश देने के समान है तथा निंदनीय है।

७. सदैव हिन्दुओं की धर्मपरंपरा, देवता, संत आदि के संबंध में चलचित्रों में जानबूझकर अयोग्य दिखाकर हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं का अनादर किया जाता है। निर्माताओं की भावना है कि हिन्दू सहिष्णु होने के कारण विरोध होने पर भी अधिक कुछ नहीं करते; परंतु यदि मुसलमान अथवा ईसाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों, तो सेन्सर बोर्ड सहित शासन भी तुरंत कार्यवाही करता है। इसके अनेक उदाहरण हैं।

अ. मुसलमानों की भावनाएं आहत करनेवाले तमिल चलचित्र ‘विश्वरूपम्’ पर तमिलनाडु शासन ने प्रतिबंध लगाया था।

आ. ईसाइयों की भावनाएं आहत करनेवाले अंग्रेजी चलचित्र ‘द दा विंची कोड’ पर गोवा शासन ने प्रतिबंध लगाया।

इ. ‘कमाल धमाल मालामाल’ नामक चलचित्र में एक फादर कुत्ते का विवाह करते हुए दिखाया गया था। इस चलचित्र का ईसाइयों ने विरोध किया था। उस समय इस चलचित्र से उक्त प्रसंग हटाकर वह पुनः प्रदर्शित किया गया।

ई. अक्षयकुमार के ‘एंटरटेनमेंट’ चलचित्र में हास्य कलाकार जॉनी लीवर का नाम ‘अब्दुल्ला’ था। यह नाम मुसलमानों में पवित्र माना जाता है तथा इस चलचित्र में इस नाम के अनेक उपहास किए गए हैं, ऐसी आपत्ति होने के कारण सेन्सर बोर्ड ने निर्माता से कहकर यह नाम परिवर्तित किया।

उक्त उदाहरण गिनेचुने हैं; परंतु हिन्दुओं के देवता अथवा धर्म से संबंधित विरोध होनेपर भी न ही सेन्सर बोर्ड और न ही शासन कुछ करता है। स्थिति ऐसी है कि कोई भी आता है और हिन्दुओं की भावनाएं रौंद देता है। अच्छी पटकथा, अच्छे संवाद, अच्छा अभिनय, अच्छे गीत आदि पर आधारित चलचित्र भी अच्छा व्यवसाय करते हैं; परंतु अब इसका विस्मरण हो गया है। विवाद उत्पन्न कर, हिन्दुओं की भावनाएं आहत कर, धर्मपरंपराओं पर आधात कर चलचित्र बनाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना और तत्पश्चात धंधा करना, ऐसा वर्तमान चलचित्र निर्माताओं का अत्यंत नीतीहीन समीकरण बन गया है तथा यह वास्तविकता है।

चलचित्र ‘केदारनाथ’ की कथा और उसके दृश्यों पर आपत्ति उठाकर कुछ स्थानीय श्रद्धालुओं ने रुद्रप्रयाग के जनपद मुख्यालय के सामने आंदोलन किया। केदारनाथ स्थित सतेराखाल और आसपास के परिसर के स्थानीय श्रद्धालुओं ने आंदोलन करते समय फलक, निर्देशक, नायक और नायिका के पुतले जलाए। देशभर में इस चलचित्र से विवाद प्रारंभ हो गया है। केदारनाथ मंदिर के पुजारी ने भी इसे तीव्र विरोध दर्शाते हुए इस चलचित्र पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

* इस प्रकरण में हमारी निम्नांकित मांगे हैं -

१. जनता के धैर्य का बांध टूटने से पूर्व सेन्सर बोर्ड इस चलचित्र पर प्रतिबंध लगाए।
२. जब तक चलचित्र के विवादित प्रसंग हटाकर चलचित्र हिन्दू संगठनों अथवा धर्माचार्यों के प्रतिनिधि मंडल को नहीं दिखाया जाता, तब तक इस चलचित्र को प्रमाणपत्र नहीं दिया जाए।
३. चलचित्र के माध्यम से हिन्दुओं के मंदिर, आस्थास्थान, धर्मग्रंथ और देवताओं का उपयोग अनुचित पद्धति से न किया जाए, इसके लिए चलचित्र प्रमाणन मंडल नियमावली बनाए।
४. चलचित्र की टैग लाइन ‘Love is a pilgrimage’ परिवर्तित की जाए।

उक्त मांगे पूर्ण न कर चलचित्र को प्रमाणपत्र देने पर यदि जनता के धैर्य का बांध टूटता है, तो केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन मंडल उत्तरदायी होगा।

आपका नम्र,

संपर्क :